

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' सहित 18 अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिनमें राशि ₹ 448.67 करोड़ अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2016-17 में ₹ 1,09,026 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2017-18 में ₹ 1,27,307.18 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 50,605.41 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 15,733.72 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 66,339.13 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियां ₹ 60,968.05 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का हिस्सा ₹ 37,028.01 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान ₹ 23,940.04 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2017 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 3,062 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,319.89 करोड़ राशि के 9,075 अनुच्छेद जून 2018 के अंत में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.6)

II. बिक्री, व्यापार, सप्लाइज, इत्यादि पर कर

'माल और सेवा कर (जीएसटी) में रूपान्तरण हेतु की गयी तैयारी' जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ की जांच में दृष्टिगत हुआ कि:

- जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की कुल प्राप्तियां ₹ 23,599.29 करोड़ थी जबकि गत वर्ष 2016-17 की समान अवधि में जीएसटी पूर्व करों की राशि ₹ 22,570.26 करोड़ थी अर्थात् केवल 4.56 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.4.5)

- यह पाया गया कि जीएसटी-पूर्व प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों में से 92 प्रतिशत का जीएसटी अधिनियम के तहत प्राथमिक नामांकन किया गया; लेकिन इन व्यवहारियों में से 80 प्रतिशत ने ही माईग्रेशन प्रक्रिया पूर्ण की तथा जीएसटी के तहत अन्तिम रूप से पंजीकृत हुये।

(अनुच्छेद 2.4.8.1)

- जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए करदाताओं द्वारा 5,68,302 विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गयी। यह सम्भावना थी कि इन चूककर्ताओं द्वारा कर की चोरी की गई तथा प्राप्तकर्ताओं द्वारा इन चूककर्ताओं को चुकाये गये कर के विरुद्ध आगत कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.8.3)

- बारह प्रकरणों में, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत 'विवरणी प्रपत्र ट्रान-1' में दावा की गयी ट्रांजिशनल क्रेडिट एवं 'त्रैमासिक वैट विवरणी' में अग्रेषित की गई आगत कर क्रेडिट में राशि ₹ 63.35 करोड़ का अंतर देखा गया जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक ट्रांजिशनल क्रेडिट का गलत दावा किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.8.4)

- विभाग ने व्यवहारियों के कर निर्धारण के समय बकाया घोषणा पत्रों का विवरण एकत्रित करने की प्रणाली विकसित नहीं की और ना ही कर निर्धारण पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें जमा कराने के लिए कहा। वसूली प्रक्रिया शुरू करने में विलम्ब से लापता व्यवहारियों की संख्या में वृद्धि तथा व्यवहारियों की लेखा पुस्तकों से संव्यवहारों के प्रतिसत्यापन में कठिनाईयां हो सकती है।

(अनुच्छेद 2.4.10.1)

- आईटीसी का सत्यापन नहीं होने से राशि ₹ 192.95 करोड़ की मांग पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। विक्रेता व्यवहारियों द्वारा केवल पांच वर्षों के लिये लेखापुस्तकों को संरक्षित रखने के विधिक प्रावधान होने के कारण कर निर्धारण अधिकारियों के लिये इन प्रकरणों में आईटीसी अनुमत्य करते समय क्रेता व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत बिलों का प्रतिसत्यापन करना कठिन होगा।

(अनुच्छेद 2.4.10.2)

'विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अपील प्रकरणों का निस्तारण' की प्रणाली की जांच में दृष्टिगत हुआ कि:

- नमूना जांच किये गये 132 प्रकरणों में ₹ 128.13 करोड़ की विवादित राशि शामिल थी, इनमें से 36 प्रकरणों में विभागीय प्रतिनिधि सुनवाई के समय उपस्थित नहीं थे, 14 प्रकरणों में विभागीय प्रतिनिधि के पद रिक्त थे जबकि 82 प्रकरणों में एक पंक्ति के रटे रटाये वाक्य को सभी आदेशों में दोहराया गया, जो कि विभाग की तरफ से प्रभावी बचाव की कमी को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 2.5.3)

- वर्ष 2008-09 से 2016-17 के दौरान प्रस्तुत 266 अपीलों का एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् 6 से 2,510 दिन तक के विलम्ब से निस्तारण किया गया।

(अनुच्छेद 2.5.5)

'केप्टिव पावर प्लांटों पर विद्युत शुल्क आरोपण एवं संग्रहण' की प्रणाली की जांच में दृष्टिगत हुआ कि:

- नियमों में कमियां जैसे कि कर निर्धारण/वार्षिक विवरणी का प्रस्तुतीकरण/विवरणियों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण/विवरणियों के अप्रस्तुतीकरण/देरी से प्रस्तुतीकरण पर शास्ति आरोपण हेतु प्रावधानों का अभाव पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कर का अनिर्धारण/शास्ति का अनारोपण और विवरणियों की उचित निगरानी नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.6.5)

- चार इकाइयों द्वारा अपनी कुल उत्पादित यूनिटों में से सहायक उपभोग की गई यूनिटों को कम करने का दावा किया गया। संबंधित प्राधिकारी इस चूक का पता नहीं लगा सके जिसके परिणामस्वरूप, राशि ₹ 12.36 करोड़ के विद्युत शुल्क के भुगतान में अनियमित छूट दी गई।

(अनुच्छेद 2.6.6)

अन्तर्राज्यीय/राज्य में की गयी खरीदों के बारे में विभागीय वेब आधारित एप्लीकेशन पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने नहीं किया इसके अतिरिक्त कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आगत कर की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दर लगाना और घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति आरोपण नहीं करने के परिणामस्वरूप कर, शास्ति और ब्याज राशि ₹ 30.41 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

III. वाहनों पर कर

निर्माताओं द्वारा विक्रय/वितरित किए गए वाहनों पर अस्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण राशि ₹ 19.41 करोड़ की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.4)

वाहन स्वामियों द्वारा 2,081 वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर, अधिभार और शास्ति राशि ₹ 11.49 करोड़ जमा नहीं करायी गयी। तथापि विभाग द्वारा इस देय राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 3.5)

एकमुश्त कर, अधिभार और शास्ति राशि ₹ 6.46 करोड़ का भुगतान 1,180 वाहनों के स्वामियों द्वारा नहीं किया गया। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 3.6)

IV. भू-राजस्व

'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' की जांच में दृष्टिगत हुआ कि:

- उचित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु राजकीय भूमि के डेटाबेस को राज्य/जिला/तहसील स्तर पर संधारित करने की केन्द्रीकृत प्रणाली का अभाव था।

(अनुच्छेद 4.4.6.1)

- पांच तहसीलों में 1.78 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पर अतिक्रमण के प्रकरणों की पहचान के बावजूद इन्हे अतिक्रमण रजिस्टर जिसे दायरा रजिस्टर कहते हैं में दर्ज नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 4.4.6.3)

- दस तहसीलों में 3,101 अतिक्रमियों ने 30.77 लाख वर्ग मीटर राजकीय भूमि पर आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं ईट-भट्टा प्रयोजनार्थ अतिक्रमण किया। पृथक

प्रावधानों के अभाव में तहसीलदारों ने कृषि भूमि के लिये लागू किराये की दरों पर आधारित शास्ति आरोपित की।

(अनुच्छेद 4.4.7)

- राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों से निपटने के लिये राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के 10 माह व्यतीत होने के बाद एक नीति तैयार की (11 सितम्बर 2017), हालांकि पूर्व में ही जनवरी 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये थे। राजकीय भूमि से अतिक्रमणों को हटाने हेतु कार्य योजना तैयार नहीं की गयी थी।

(अनुच्छेद 4.4.9)

- पांच तहसीलों में अतिक्रमण के 10 मामलों में नौ अतिक्रमियों ने 62,820.73 वर्ग मीटर राजकीय भूमि पर स्कूलों, धर्मशालाओं तथा आश्रमों के निर्माण के लिये अतिक्रमण किया।

(अनुच्छेद 4.4.11)

- अतिक्रमणों पर अंकुश लगाने हेतु राज्य/जिला/तहसील स्तर पर 'सतर्कता एवं अतिक्रमण निरोधक प्रकोष्ठ' विद्यमान नहीं था।

(अनुच्छेद 4.4.13.2)

- अधिनियम/नियमों की अनुपालना नहीं होने के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत एवं संपरिवर्तन/नियमितीकरण प्रभारों की कम वसूली/अवसूली तथा राज्यांश राशि ₹ 2.80 करोड़ की कम प्राप्ति तथा सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव पाया गया।

(अनुच्छेद 4.5)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मुद्दे दृष्टिगोचर हुए:

- जिला स्तरीय समिति की बैठकों का आयोजन विभाग द्वारा सम्पत्तियों के समय-समय पर बाजार मूल्य के सही निर्धारण में महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, नमूना जांच किये गये छः जिलों में जिला स्तरीय समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था।
- जिला स्तरीय समिति की दरों में संशोधन हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप जिला स्तरीय समिति की दरें वास्तविक बाजार दरों को नहीं दर्शा पायी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जयपुर एवं कोटा के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सम्पत्तियों की नीलामी दरें उन्हीं क्षेत्रों में उन्हीं वर्षों में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों से 152 प्रतिशत से 806 प्रतिशत तक अधिक थी।

(अनुच्छेद 5.3.9.1)

- मुद्रांक कर के कम निर्धारण के उदाहरणों का पता लगाने में मौका निरीक्षणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा राजस्व हित में इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तथापि, मौका

निरीक्षणों का आयोजन कर्मठतापूर्वक नहीं किया गया जिससे निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में ये प्रभावी नहीं रहे।

(अनुच्छेद 5.3.10)

- जिलास्तरीय समिति की दरों में रूपान्तरण तालिका का उल्लेख नहीं था तथा इसे 'ई-पंजीयन' के साथ एकीकृत नहीं किया गया परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 0.94 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3.11.2)

- 'ई-पंजीयन' मालिक एवं विकासकर्ता के पृथक हिस्सों पर देय मुद्रांक कर की गणना करने में सक्षम नहीं था परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 1.80 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3.11.3)

- लीज दस्तावेजों के देरी से प्रस्तुतीकरण पर देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की गणना हेतु 'ई-पंजीयन' में अलग से मॉड्यूल नहीं था, जिसके कारण इन प्रकरणों में देय उचित मुद्रांक कर की गणना स्वतः नहीं हो पायी, परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 5.52 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3.11.5)

- पंजीयन तथा मुद्रांक अधिनियम द्वारा निर्धारित दायित्वों का पालन लोक कार्यालयों द्वारा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 66.64 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ। यह महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक तथा लोक कार्यालयों के मध्य समन्वय का अभाव भी दर्शाता है।

(अनुच्छेद 5.3.12)

- सहकारी आवास समितियां पंजीयन अधिनियम, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य कर रही थी। इसके अतिरिक्त, इन समितियों ने अपंजीबद्ध दस्तावेजों के माध्यम से भूमि स्वरीदी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 2.94 करोड़ की छीजत रही।

(अनुच्छेद 5.3.13.3)

- एक सौ सत्ताइस प्रकरणों में यह पाया गया कि या तो चैकलिस्ट में सम्पूर्ण सूचनायें नहीं दी गयी थी या संलग्न दस्तावेजों/समर्थक दस्तावेजों में तथ्यों का उल्लेख था, परन्तु 'ई-पंजीयन' में गलत सूचना इन्द्राज की गयी। जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 10.77 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3.14)

VI. राज्य आबकारी

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2016 से आबकारी शुल्क में बढ़ोत्तरी की गई थी। परन्तु जिला आबकारी अधिकारी मदिरा और बीयर के सुदरा अनुज्ञाधारियों (दिनांक 31 मार्च 2016 को) से आबकारी शुल्क की अन्तर राशि ₹ 2.98 करोड़ की वसूली करने में असफल रहें।

(अनुच्छेद 6.4)

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा कम्पोजिट फीस की गलत गणना करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.33 करोड़ की कम वसूली।

(अनुच्छेद 6.5)

विभाग द्वारा रेस्टोरेन्ट, बार अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 33.50 लाख से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 6.6)

VII. कर-इतर प्राप्तियां

'जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के संग्रहण की लेखापरीक्षा' से दृष्टिगत हुआ कि:

- जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 की घोषणा में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रधान खनिजों के निर्गमन पर ₹ 147.33 करोड़ के अंशदान का ट्रस्ट फंड हेतु संग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 7.4.3.1)

- खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा अंशदान के संग्रहण का निजी निक्षेप खाते में पड़ी फंड राशि ₹ 498.17 करोड़ के साथ मिलान नहीं किया गया। यह राशि संबंधित जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट को हस्तांतरित नहीं की गई।

(अनुच्छेद 7.4.3.3)

- खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंता ने जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान के सही भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया। परिणामस्वरूप 17 सितम्बर 2015 से 31 मार्च 2018 के दौरान पट्टा धारकों, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों तथा ईट मिट्टी अनुमति-पत्र धारकों से अंशदान राशि ₹ 194.43 करोड़ का कम भुगतान प्राप्त किया।

(अनुच्छेद 7.4.4.3)

तीन अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों ने नियत तिथि पर ठेका राशि की किश्तें जमा नहीं की। तथापि, खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ने ब्याज राशि ₹ 60.33 लाख की मांग कायम नहीं की।

(अनुच्छेद 7.5)

एक खनन पट्टा धारक ने निर्दिष्ट खनन पट्टा क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र से अवैध रूप से खनिज का उत्खनन किया तथा 196 रवन्नाओं का खनिज निर्गमन के लिये दुरुपयोग किया। तथापि, विभाग ने, ना तो इन रवन्नाओं के माध्यम से निर्गमित खनिज की मात्रा की संगणना की न ही नियमों के प्रावधानानुसार खनिज की कीमत की वसूली के लिये मांग कायम की।

(अनुच्छेद 7.7)